

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 71]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 12 फरवरी 2015—माघ 23, शक 1936

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 फरवरी 2015

क्र. एफ-ए-1-7-2014-एक-(1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियमों में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 2 में, अनुक्रमांक इकतालीस तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाए, अर्थात्:—

“इकतालीस—विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी.”

2. अनुसूची में, विद्यमान शीर्षक “इकतालीस—विज्ञान एवं टेक्नालॉजी विभाग” के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“इकतालीस—विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 12 फरवरी 2015

क्र. एफ-ए-1-07-2014-एक-(1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-1-07-2014-एक (1), दिनांक 12 फरवरी 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 12th February 2015

No. F A-1-07-2014-One(1).—In exercise of the powers conferred by clause (2) and (3) of article 166 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, is pleased to make the following further amendments in the Madhya Pradesh Government Business (Allocation) Rules, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,—

1. In rule 2, for serial number XLI and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

“ XLI—Science and Technology.”

2. In the Schedule for the existing heading “XLI—Science and Technology Department”—the following heading shall be substituted, namely:—

“ XLI—Science and Technology Department.”

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. R. VISHWAKARMA, Dy. Secy.